

धीन हैं। उपरोक्त दिये गये मामलों के बारे में जो गत दो वर्षों से अधिक समय से विचाराधीन है, जानकारी नीचे दी जाती है।

(१) मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त (चीफ सेटलमेन्ट कमिश्नर) के दफ्तर में विचाराधीन मामले :—

(क) दावों के मामले कोई नहीं।

(ख) अदालती और अपील संबंधी मामले ४

(२) प्रादेशिक बन्दोबस्त आयुक्त (रीजनल सेटलमेन्ट कमिश्नर) के दफ्तर में विचाराधीन मामले :-

(क) मुआवजे तथा पुनर्वास अनुदान के मामले १०६४

(ख) अन्तरिम या जिन मामलों में अंशतः मुआवजा दिया गया ६२३

(ग) अदालती प्रादेशों के फलस्वरूप दोबारा तैयार किए जाने वाले तथा खोले जाने वाले मामले १८६६

(घ) गैर-पंजाबी भूमि दावेदारों के मामले जिनमें भूमि का बांटा जाना, मुआवजे की नकद अदायगी और जिनमें (एडजस्टमेंट) करना बाकी है १३७४

(ङ) अदालती मामले और अपीलों ५

Evacuee Houses in India

2741, Shri K. Sivapppraghasan:
Will the Minister of Rehabilitation be to the purchasers?

(a) the number of evacuee houses in India, State-wise left by Muslims;

(b) those which have since been auctioned or sold to the refugees; and

(c) the number of houses, the sale deeds of which have since been issued to the purchasers?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) State-wise figures are not available. Region-wise figures are:—

	Properties
Delhi	14,593
Bombay (including Maharashtra, Gujarat, Mysore, Kerala, Andhra Pradesh and Madras).	18,585
Punjab (including Himachal Pradesh).	1,98,154
Rajasthan	15,457
Uttar Pradesh.	52,074
Madhya Pradesh.	4,393
Bihar (including Orissa)	3,588
Total—	3,06,844

(b) 2,98,872 properties have been sold or allotted to displaced persons. Full payment in cash or compensation claims has been received in respect of 2,65,732 properties.

(c) 2,33,750.

पुराने किले से निकाले गये विस्थापित

२७४२. } श्री हुकम चन्द कछवाय :
 } श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या निर्माण तथा आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुराने किले से निकाले गए विस्थापितों को अभी तक ईंटें, चादरें और दरवाजे आदि नहीं दिए गये हैं जब कि उनसे इन चीजों के मूल्य ले लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनको ये चीजें कब तक दे दी जायेंगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). पुराने किले से बेदखल किए गए कुल १४१ व्यक्तियों ने मकान बनाने की सामग्रियों के लिये आवेदन किया था। १२४ व्यक्तियों को ये सामग्रियां दी जा चुकी हैं और बाकी को दी जा रही हैं।